

झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डबल्यू पी (सी) सं. 3419/2018

बिभा सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य आवास बोर्ड, प्रबंध निदेशक, राँची के माध्यम से
2. राजस्व अधिकारी, झारखंड राज्य आवास बोर्ड, राँची
3. कार्यपालक अभियंता, झारखंड राज्य आवास बोर्ड, आदित्यपुर, जमशेदपुर

..... उत्तरदाता

कोरम माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए: श्री सिद्धार्थ रंजन

बोर्ड के लिए: डॉ. अशोक कु सिंह

04/05. 01. 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की गई।

वर्तमान रिट याचिका पत्र संख्या 810/एए दिनांक 30.10.2017 (रिट याचिका के लिए अनुबंध-7) जो प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा जारी किया गया है को खारिज करने के लिए दायर की गई है, जिसके कारण 5,65,492/- रु 31.10.2017 और 5,73,750/- दि 30.11.2017 तक आगे की मांग है और याचिकाकर्ता द्वारा पहले से जमा की गई राशि का समायोजन दिखाया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता के अनुसार यह पूरी तरह से मनमाना, अनुचित और अवैध है जैसा कि उसने पहले से ही 12,25,657/- रुपये जमा किए हैं, जो कि पार्टियों के बीच दर्ज किए गए किराया खरीद समझौते के अनुसार रु12,06,628/- है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि एलआईजी रो हाउस नंबर एलआर/225, आदित्यपुर, जमशेदपुर के तहत कम आय वर्ग के तहत घर के आवंटन के अनुसार, झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा दि 30.11.2011 के मूल्यांकन 12,06,628/-रूपये के तहत याचिकाकर्ता ने 12,25,657/- रुपये की राशि जमा की है इसलिए, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा जारी किए गए दि. 30.10.2017 पत्र को चुनौती दी है, जो Rs. 5,65,492/- 30.11.2017तक Rs. 5,73,750/- दि.

31.10.2017 तक और मांग की जा रही है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि एक बार याचिकाकर्ता ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि उक्त घर की लागत के रूप में जमा कर दी थी, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए 30.10.2017 के पत्र को जारी करने का कोई अवसर नहीं था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने 07.04.2015 को आयोजित अपनी 40 वीं बैठक में देय राशि (यदि बिल्कुल भी) पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेने का नीतिगत निर्णय लिया है।

झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से पेश विद्वत अधिवक्ता डॉ. अशोक कुमार सिंह ने कहा कि निर्देश के अनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ 10.01.2020 को विचाराधीन घर की लागत के संबंध में एक नई मांग पहले ही उठाई जा चुकी है, जिसका भुगतान अभी तक याचिकाकर्ता द्वारा नहीं किया गया है, जैसा कि हो सकता है।

चूंकि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन घर के लिए भुगतान की जाने वाली उचित राशि के संबंध में तथ्यात्मक निर्धारण की आवश्यकता है, विवाद की योग्यता में प्रवेश किए बिना, याचिकाकर्ता को वर्तमान मुद्दे पर नए सिरे से 4 फरवरी, 2021 तक प्रतिवादी नंबर 1 के समक्ष प्रतिनिधित्व दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है। इस तरह के प्रतिनिधित्व की प्राप्ति पर, प्रतिवादी नंबर 1, याचिकाकर्ता/उसके प्रतिनिधि को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, उक्त प्रतिनिधित्व के दाखिल होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर एक उचित सूचित निर्णय लेगा। जब तक प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उक्त प्रतिनिधित्व का निपटान नहीं किया जाता है, तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ 30.10.2017 के लगाए गए पत्र/इस संबंध में जारी किए गए किसी भी बाद के पत्र के अनुसरण में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।